न्यायालयान्तर्गत,

अपर उपायुक्त,

साहेबगंज।

आर0एम0पी0 वाद संख्या–11/2021–22

प्रार्थी :– कालीचरण साहा

बनाम्

विपक्षी :– जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज

संदर्भ : राष्ट्रीय उच्च पथ (एन0एच0–80) निर्माणार्थ अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित संरचना के मुआवजा भुगतान, भारत सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को प्रेषित पत्र में वर्णित संकेत, जो माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर W.P. (C) No.-2136/2021 के आदेश दिनांक 15.07.2021 के निदेश के तहत दाखिल अभ्यावेदन।

उक्त प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद में लिखित वक्तव्य (Written Agrument) का सारांश विनय पूर्वक समर्पित किया जाता है :–

1. यह कि प्रार्थी के पक्के का आवासीय मकान मौजा–कटहलबाड़ी, थाना नं0–18 के दाग नं0–459 पर अवस्थित है, उक्त स्थल पर बने प्रार्थी के मकान का स्थलीय निरीक्षण N.H-80 के विभागीय पदाधिकारीगण द्वारा किया गया एवं संरचना की जाँच का मुआयना की गई एवं उस मुआयना के अनुसार प्रत्येक संरचना का मुआवजा का आकलन किया गया।

2. यह कि प्रत्येक संरचना का लागत मूल्यांकन का पृथक–पृथक विवरण कुल 11 (ग्यारह) फर्द में बनाया गया एवं मूल्यांकन की राशि का विवरण प्रार्थी के मांग करने पर उन्हें निर्गत किया गया है. प्रत्येक संरचना की मूल्यांकन राशि निम्न प्रकार है :–

Scanned with OKEN Scanner

संरचना संख्या	मूल्यांकन राशि
1.	2,20,332=00
2.	0,37,243=00
3.	0,22,411=00
4.	7,85,029=00
5.	0,13,201=00
6.	0,86,652=00
7.	0,04,922=00
8.	0,26,938=00
9.	0,16,441=00
10.	0,31,827=00
11.	0,17,489=00
कुल योग –	**20,62,485=00**

3. यह कि भारत सरकार के पथ, परिवहन, उच्च पथ मंत्रालय के पत्रांक NH11011/30/2015-L.A. दिनांक 28 दिसम्बर 2017 के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय उच्च पथ अधिनियम 1956 के तहत भू–अर्जन के कम्प्रीहेन्सीव गाईड लाइन संबंधी पत्र प्रेषित है, जिसमें मुआवजा के मूल्यांकन का दो गुणा भुगतान का दिशा–निर्देश है।

4. यह कि प्रार्थी के मकान संरचना के कुल 11 (ग्यारह) फर्द जो उपर वर्णित है, परंतु नोटिश में केवल 10 संरचना ही अंकित कर मुआवजा राशि मात्र 29,42,160=00 (उनतीस लाख बयालीस हजार एक सौ साठ रूपए) प्रार्थी को भुगतान हुआ है, जबकि कुल संरचना के निरीक्षण के दरम्यान मूल्यांकन राशि का दो गुणा राशि 41,24,970=00 रूपए होता है, जो भारत सरकार के निदेश के आधार पर प्रावधानानुसार श्रेयस्कर है, इस आधार पर प्रार्थी को अब, उक्त मूल्यांकन के अनुसार शेष बकाया राशि 11,82,810=00 भुगतेय है, जिसके भुगतान हेतु माननीय उच्च न्यायालय का शरण लेना पड़ा।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मूल्यांकन 11 (ग्यारह) फर्द में मुआवजा भुगतान हेतु राशि का आकलन हुआ परंतु भुगतान प्रार्थी को प्रेषित नोटिश में केवल 10 संरचना ही अंकित है।

13. यह कि आवेदक/प्रार्थी का उक्त मकान सदा–सर्वदा के लिए प्रार्थी के हाथ से समाप्त हो रहा है, अब प्रार्थी को पुनः जमीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जबकि वर्तमान समय में जमीन का कीमत काफी महंगा हो चुका है, प्रार्थी का अपने परिवार को रखने की गंभीर समस्या सामने पहाड़ की तरह खड़ी हो गई है, इसका समाधान काफी विचारणीय है।

14. यह कि उपर्युक्त तथ्यों व वस्तुस्थिति पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित पत्राचार एवं गाईडलाइन के अनुसार मुआवजा के मूल्यांकन का दो गुणा राशि भुगतान करने की प्रार्थना पत्र श्रीमान् के शरण में प्रार्थी द्वारा समर्पित किया जाता है।

अतएव सेवा में प्रार्थना है कि प्रार्थी के गृह संरचना के मूल्यांकन मुआवजा की दो गुणा राशि भारत सरकार द्वारा प्रेषित प्रावधान के अनुरूप भुगतान का आदेश न्यायहित में पारित करने की असीम कृपा की जाय।

इस हेतु प्रार्थी (आवेदक) सदा विनयी रहेगा।

प्रार्थी/आवेदक

द्वारा दाखिल

अधिवक्ता/साहेबगंज

Digitally signed by BINAY KUMAR MISHRA
Date: 2023.04.21 11:40:39 +05:30
Location: 192.168.1.17

Scanned with OKEN Scanner